राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर

क्रमांकः– भण्डार/2018–19/59 दिनांकः– 6-7-18

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखने में आया है कि मण्डल मुख्यालय में विभिन्न आदेशों के द्वारा उनके अधीन लगे टैक्सी वाहनों की लॉग बुक सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आकस्मिक अवकाश/उपार्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश अथवा मुख्यालय से बाहर यात्रा में होने के बावजूद उन दिवसों की यात्रा का अथवा गाडी खडी रहने का सत्यापन किया जा रहा है। जोकि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 82 दिनांक 05.10.2017 का उल्लघंन है। उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया हुआ है कि मुख्यालय स्तर पर जिन अधिकारियों को टैक्सी/वाहन अनुबन्ध पर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में वाहन चालक द्वारा सहायक लेखाधिकारी (भण्डार) को रिपोर्ट करना होगा। ऐसी स्थिति में भविष्य में अंकेक्षण दल द्वारा किसी प्रकार की राशि की वसूली निकालने पर उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी अथवा वाहन प्रदाता से की जावेगी।

साथ ही बार बार आदेश जारी करने पर बावजूद वाहन लॉग बुक के यात्रा प्रयोजन कॉलम में **"ऑफीसियल"** लिखकर भेजा जा रहा है। जोकि अंकेक्षण द्वारा आक्षेपनीय है। अतः सभी अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त कॉलम में **यात्रा का प्रयोजन स्पष्ट रूप से अंकित करें**। इसके अभाव में अंकेक्षण दल द्वारा भविष्य में बनने वाले आक्षेप अथवा वसूली की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

सचिव
आवासन मण्डल

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–मुख्य अभियन्ता,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव/वितीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ...., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त..................... राजस्थान आवासन मण्डल, ...
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड......................... राजस्थान आवासन मण्डल, ...
7. लेखाधिकारी (भुगतान), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संबंधित अधिकारी JD (ACA) - कम्प्यूटर प्रकोष्ठ
9. वाहन प्रदाता ....
10. समस्त प्रकोष्ठ.......................राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर।
11. नोटिस बोर्ड।
12. रक्षित पत्रावली।

सचिव
आवासन मण्डल
जयपुर

लॉग बुक

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक–स्टोर / 2017–18 / 132 दिनांक:– 5-10-17

कार्यालय आदेश

मण्डल के वृत एवं खण्ड कार्यालयों के अधिकारियों को 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक के लिए अनुबन्ध पर वाहन लगाने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F9(1)FD(1)/Budget/2015 दिनांक 15.07.2015 की शर्तो व मण्डल की शर्तो के अनुसार टैक्सी वाहन कारो की दरे मण्डल में स्वीकृति की गयी है।

परिपत्रानुसार वाहन के लिये अधिकृत अधिकारियों की सूची, श्रेणी एवं भुगतान दर का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:–

क्र. सं.	श्रेणी	अधिकारी का पद	वाहनो की संख्या	अधिकतम स्वीकृत यात्रा कि.मी. एवं भुगतान राशि प्रति माह
1.	पूर्ण राज्य	वित्तीय सलाहकार निदेशक विधि अति. मुख्य नगर नियोजक सम्पदा प्रबंधक (मुख्यालय) सम्पदा प्रबंधक (भूमि) मुख्य राजस्व अधिकारी उप आवासन आयुक्त, गुणवता नि. जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड विद्युत जयपुर मुख्य सम्पदा प्रबंधक उप सचिव विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुरा अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष आवास विकास अवसायन समिति (मुख्यालय)	12	2500 कि.मी. + राशि रू. 27250/– (GST extra if applicable)
2.	एक से अधिक जिला	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम जयपुर अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वितीय, जोधपुर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय जयपुर उप आवासन आयुक्त, वृत – प्रथम, जयपुर उप आवासन आयुक्त, वृत – द्वितीय, जयपुर उप आवासन आयुक्त, वृत – तृतीय, जयपुर आवासीय अभियन्ता गुणवता प्रथम जयपुर आवासीय अभियन्ता गुणवता द्वितीय जयपुर उप आवासन आयुक्त वृत, प्रथम, जोधपुर वृत – प्रथम जोधपुर के लिए एक पूल वाहन उनके अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय के आवासीय अभियन्ताओं के लिए) उपआवासन आयुक्त वृत द्वितीय जोधपुर वृत – द्वितीय जोधपुर के लिए एक पूल वाहन उनके अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय के आवासीय अभियन्ताओं के लिए) उप आवासन आयुक्त, अलवर उप आवासन आयुक्त, उदयपुर वृत – उदयपुर के लिए एक पूल वाहन उनके	37	2200 कि.मी. + राशि रू. 25075/– (GST extra if applicable)

		अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय के आवासीय अभियन्ताओं के लिए) उप आवासन आयुक्त, बीकानेर उप आवासन आयुक्त, कोटा आवासीय अभियंता पीएचई,प्रथम जयपुर आवासीय अभियंता पीएचई,द्वितीय जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड पाली आवासीय अभियंता खण्ड तेरह जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड दौसा आवासीय अभियंता खण्ड भरतपुर आवासीय अभियंता खण्ड बाडमेर आवासीय अभियंता खण्ड डूंगरपुर आवासीय अभियंता खण्ड भीलवाडा आवासीय अभियंता खण्ड चित्तौडगढ आवासीय अभियंता खण्ड हनुमानगढ आवासीय अभियंता खण्ड बांरा आवासीय अभियंता खण्ड झुंझुनू आवासीय अभियंता खण्ड अजमेर आवासीय अभियंता खण्ड नागौर, आवासीय अभियंता खण्ड भिवाड़ी आवासीय अभियंता खण्ड अलवर आवासीय अभियंता खण्ड बीकानेर जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर जन तहसीलदार (म.) जयपुर		
3.	एक जिला	आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड द्वितीय जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड तृतीय जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड चतुर्थ जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड पंचम जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड षष्टम जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड नवम् जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड दशम् जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड ग्यारह जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड बारह जयपुर	10	2000 कि.मी. + राशि रू. 23625/- (GST extra if applicable)
4.	एक शहर	तकनीकी सहायक–आवासन आयुक्त, जयपुर आवासन आयुक्त के अधीन पूल वाहन 1 सहायक लेखाधिकारी (भण्डार प्रकोष्ठ) के अधीन पूल वाहन 2	4	1500 कि.मी. राशि रू. 20000/- + (GST extra)

* अनुबंधित वाहन यदि उपरोक्त सूची अनुसार निर्धारित सीमा (1500, 2000, 2200, एवं 2500,कि.मी) **से कम चलते है तो वाहनों का भुगतान निम्नलिखित प्रकार से होगा।**

1. 1500 कि.मी. की दूरी तक राशि रू. 20000/- + GST (Extra if applicable)
2. 1500 कि.मी. से अधिक दूरी तक राशि रू. @ 7.25 प्रति कि.मी

- वाहन प्रदाता/फर्म को 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।
- वाहन अनुपस्थित रहने पर 750 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ती काटी जावेगी।
- अनुबन्ध की शर्ते राज्य सरकार के आदेश की शर्तो एवं मण्डल की शर्तो के अनुसार होगी। जिस फर्म से वाहन किराये पर लिया जाये, उसकी सूचना सहायक लेखाधिकारी (भण्डार) को भिजवाये।

- अनुबन्ध की शर्तें राज्य सरकार के आदेश की शर्तो एवं मण्डल की शर्तो के अनुसार होगी। जिस फर्म से वाहन किराये पर लिया जाये, उसकी सूचना सहायक लेखाधिकारी (भण्डार) को भिजवाये।
- वृत एंव खण्ड कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके अधीन संचालित वाहनों का भुगतान उनके स्तर पर ही किया जायेगा। उक्त अधिकारी इस हेतु आवश्यक बजट का आवंटन सुनिश्चित करावें।
- वाहन प्रदाता से भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ मूल लॉग बुक की प्रति संलग्न प्राप्त करना आवश्यक है।
- मुख्यालय स्तर पर जिन अधिकारियों को टैक्सी/वाहन अनुबन्ध पर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में वाहन चालक द्वारा सहायक लेखाधिकारी (भण्डार) को रिपोर्ट करना होगा। जिससे वाहन को पूल में उपयोग किया जा सके। अन्यथा उस दिन अनुपस्थिति मानते हुये रूपये 750/– प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।
- सहायक लेखाधिकारी (भण्डार प्रकोष्ठ) के अधीन लगाये गये पूल वाहनों के वाहन चालक प्रतिदिन भण्डार प्रकोष्ठ में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। अन्यथा अनुपस्थिति मानते हुये रूपये 750/– प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।

उक्त आदेशो को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

सचिव

प्रतिलिपीया :–

5. निजी सचिव अध्यक्ष/निजी सचिव आवासन आयुक्त रा.आ.म. जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता...../अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता......./उप आवासन आयुक्त......./आवासीय अभियन्ता खण्ड.........रा.आ.म.जयपुर
7. वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/अति. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/उप सचिव /विशेषाधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक (मु.)/सम्पदा प्रबन्धक (भूमि) तहसीलदार/मुख्य राजस्व अधिकारी /जन सम्पर्क अधिकारी तकनीकी सहायक–अध्यक्ष, /तकनीकी सहायक–आवासन आयुक्त, /सहायक लेखा अधिकारी भण्डार प्रकोष्ठ पूल 2 वाहन /विशिष्ठ सहायक मंत्री न.वि. आ. जयपुर
8. मास्टर पत्रावली

05.10.17
सचिव